महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-2/2017/993/एक-2-2017-1(सामान्य)/2017टी0सी0

प्रेषक

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 18 दिसम्बर 2017

बिषय : चारागाह-भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने के संबंध में।

महोदय

आप अवगत हैं कि ग्राम पंचायत/सार्वजनिक उपयोग की भूमि/अन्य विभाग की सरकारी भूमि से अवैध कब्जे/अतिक्रमण हटाये जाने एवं चिन्हित अतिक्रमणकर्ताओं/भू-माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-402/1-2-2017-1(सामान्य)/2017, दिनांक 01-05-2017 के द्वारा प्रदेश में चार स्तरीय एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। भू-माफियाओं के विरुद्ध प्रदेश स्तर पर की जा रही कार्यवाही के सतत अनुश्रवण हेतु एण्टी भू-माफिया पोर्टल का भी गठन किया गया है। शासनादेश संख्या-1/2017/644/एक-2-2017-रा0-2/1(सामान्य)/2017, दिनांक 17-08-2017 के द्वारा माह सितम्बर 2017 से समस्त शिकायतो एवं उनके निस्तारण की सूचना एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2- शासन के संज्ञान में यह आया है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चारागाह-भूमि पर बड़ी मात्रा में अतिक्रमणकर्ताओं/भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया गया है। जिसके कारण जहाँ पशु पालकों को अपने पशुओं के चारे की व्यवस्था करने में गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है वहीं छुट्टा गोवंश चारे के अभाव में इधर-उधर भटक रहे हैं तथा कूड़े कचरे से प्लास्टिक की थैलियां खाकर असमय मृत्यु का शिकार हो रहे हैं।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुसरण करते हुए अपने जनपद में अवैध अतिक्रमित की गई चारागाह-भूमि को अभियान चलाकर एक माह में अतिक्रमण मुक्त कराये जाने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। समस्त जिलाधिकारी सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे कि उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि अतिक्रमित नहीं है ।

भवदीय
डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।

संख्या-993(1) /एक-2-2017 तद् दिनांक

प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्तानुसार चारागाह-भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना सुनिश्चित कराते हुए एक माह के अन्दर समेकित/समग्र सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
संजय कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in